भा.वा.अ.शि.प.–शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान)
डाकघर–कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर–342005

I.C.F.R.E.-ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE
(Indian Council of Forestry Research & Education,
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate change, Govt. of India)
PO: Krishi Upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur – 342 005
Tel. No. 0291-2722549 (O)/2722764 (Fax)

कमांक 73 /शुअवसं/सुएवंसेप(संपदा प्रभाग)/185-II/भंडार/2024 दिनांकः 04/09/2024

घास नीलामी (बंद लिफाफे मे) की सूचना

भा.वा.अ.शि.प.–शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) के मुख्य परिसर,भूखण्ड संख्या 729 परिसर एवं विभिन्न प्रायौगिक क्षेत्रों में उगी घास की नीलामी हेतु बंद लिफाफे में दर आंमत्रण की जाती है। बंद लिफाफे की दरों के लिफाफों को **दिनांक 09.09.2024 को अपराह्न 3.00 बजे सेमीनार हॉल में खोला जायेगा।** इच्छुक व्यक्ति जो नीलामी में भाग लेना चाहते हो वे धरोहर राशि रुपये 1,000.00(अक्षरे एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करवा कर भंडार अनुभाग से दिनांकः09.09.2024 (कार्यालय समय में)। नकद राशि को स्वीकार नही किया जायेगा। सर्व साधारण से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले संबंधित जगहों पर उगी घास का मौका मुआयना हेतु कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक श्री जुगल किशौर गौड, वन रक्षक (मो. न. 8386003113), संपदा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते है। नीलामी की प्रक्रिया निम्नलिखित शर्तो के साथ नीलामी स्थल पर उपस्थित समिति के समक्ष की जायेगीः–

नीलामी की शर्तेः–

1. नीलामी में भाग लेने के लिए निर्धारित फार्म दिनांक 09.09.2024 को दोपहर 03 बजे तक भंडार अनुभाग में जमा करवाना अनिवार्य है। सफल कयकर्ता की धरोहर राशि घास काटने के आदेश की तिथि समाप्त होने के बाद ही लौटायी जायेगी। शेष की धरोहर राशि भंडार अनुभाग द्वारा बाद में लौटा दी जायेगी।

2. सफल कयकर्ता को कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष में बना कर दिनांकः 10.09.2024 को दोपहर 03 बजे तक को कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी,भंडार में जमा करवानी होगी। घास नीलामी की पूरी रकम जमा होने के बाद घास काटने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।

3. सफल बोलीदाता द्वारा कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांकः 10.09.2024 दोपहर 03 बजे तक को कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी भंडार में जमा नही करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी। प्रत्येक क्षेत्र की घांस के लिए अलग अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।

4. जिन क्षेत्रों में घास कटाई का आदेश दिया जाएगा, उन्हे एक किनारे से आरम्भ कर समान रूप से सभी प्रकार की घास को जड़ के पास से काटते हुए आगे बढ़ना होगा। छोड़–छोड़ कर घांस काटने की अनुमति नहीं होगी।

5. घास काटने के औजार एवं घास को ले जाने के साधन की व्यवस्था कयकर्ता को स्वयं करनी होगी।

6. कार्यादेश के दिन से 45 दिन की अवधि तक घास की कटाई पूरी करनी होगी। कटाई एवं ले जाने के संबंध में समयावधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

7. घास काटने का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा।

8. घास नीलामी के क्षेत्रों में केवल घास काटने की ही इजाजत दी जाएगी व मवेशी चराने की इजाजत नहीं होगी। वहां उगे पेड़-पौधों को कोई नुकसान नहीं किया जायेगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार क्षतिपूर्ति बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिसमें जमानत राशि जब्त किया जाना भी सम्मिलित होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली घास नीलामियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

9. आवासीय परिसरों में से घास काटने के पूर्व वहां के रहवासी को सूचित करना होगा।

10. सभी प्रायौगिकी क्षेत्रों में संबंधित प्रभागों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति में घास काटी जायेगी।

11. घास की नीलामी की आमंत्रित दर को स्वीकार करने,बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने,नीलामी निरस्त करने एवं आगे बढाने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित है।

Jaidadhic
03/9/24

(जे. पी. दाधीच)
भंडार अधिकारी,
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर

प्रति सूचनार्थः-

1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर--आपसे अनुरोध है कि नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।
2 प्रभारी अधिकारी,सुचना एवं प्रौधोगिकी प्रकोष्ठ, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर- आपसे अनुरोध है कि सूचना को वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
3 गौशालाओं तथा संस्थान के प्रायोगिक क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले कृषकों, गत पॉच वर्षो के नीलामी में बोलीकर्ताओं को वितरण।
4 नोटिस बोर्ड
5 गार्ड संचिका

(38)

Schedule to tender

मोहर बंद निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

निदेशक,
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
डाकघर– कृषि उपज मण्डी,
न्यू पाली रोड,
जोधपुर–342005

निविदा प्रपत्र

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी घास नीलामी "जहाँ है जैसा है" स्थिति के आधार पर निस्तारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्न विवरणों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

1	फर्म/व्यक्ति का नाम	
2	फर्म/व्यक्ति का पता	
3	फर्म/व्यक्ति के मालिक की पहचान हेतु दस्तावेज (ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/मतदाता पहचान–पत्र/ पेन कार्ड/आधार कार्ड की छाया प्रतियां)	
4	फर्म/व्यक्ति के पते के सत्यापन हेतु दस्तावेज (बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल/बैंक पासबुक/जी.एस.टी के पंजीकरण की छाया प्रतियां)	
7	फर्म/व्यक्ति के बैंक अकाउन्ट की पासबुक की छायाप्रति	
8	धरोहर राशि	
9	धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक एवं दिनांक	
10	टेलीफोन/मोबाईल नम्बर	

क्रम संख्या	घास का विवरण "जहाँ है जैसा है के आधार पर"	नीलामी राशि in Rupees
1	729 आवासीय परिसर (न्यूनतम दर 8,000.00)	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
2	वन संरक्षण फिल्ड (न्यूनतम दर 8,000.00)	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
3	वन आनुवंशिकी बबूल प्रा.क्षेत्र (न्यूनतम दर 12,000.00)	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
4	वन आनुवंशिकी रोहिडा प्रा. क्षेत्र (न्यूनतम दर 6,000.00)	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
5	आवंला प्रा.क्षेत्र (न्यूनतम दर 15,000.00)	अंकों में) .... (शब्दों में) ....

उपरोक्त जानकारी सही है एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं।

स्वयं/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय मोहर

मेरे/मेरी फर्म द्वारा समस्त शर्तो का पठन कर लिया गया है तथा मैं/मेरी फर्म समस्त शर्तो का पालन करने हेतु पूर्णतय सहमत हूँ। मैने प्रस्तावित निस्तारण घास का निरीक्षण भी कर लिया है।

दिनांकः

स्वयं/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय मोहर